Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में सरपंच एवं उसके दलाल सहित एक अन्य 80 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज शनिवार को ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, तहसील रायपुर, जिला पाली के सरपंच गुलाब सिंह को उसके दलाल महेन्द्र सिंह तथा एक अन्य साथी सोनूसिंह सहित परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. पाली–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कब्जाशुदा भूति पर आवासीय मकान के निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से चलने देने एवं उक्त भूमि को आबादी में रूपान्तरित करने कीएवज में ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ के सरपंच गुलाबसिंह द्वारा अपने दलाल महेन्द्र सिंह के माध्यम से 1 लाख 35 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की पाली–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल महेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुमसिंह रावत निवासी नाहरपुरा, ग्रा.पं. प्रतापगढ़ पुलिस थाना रास, तहसील रायपुर पाली तथा उसके साथी सोनू सिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत निवासी नाहरपुरा, ग्रा.पं. प्रतापगढ़ पुलिस थाना रास, तहसील रायपुर पाली (दोनों प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में सरपंच गुलाबसिंह पुत्र श्री बुद्दासिंह निवासी चढ़ावतों की ढ़ाणी, ग्रा.पं. प्रतापगढ़ पुलिस थाना रास, तहसील रायपुर पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापगढ़, तहसील रायपुर, जिला पाली को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।